To Construct Hospital

266. SHRI NEERAJ SHARMA, M.L.A.: Will the Ayush Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that approximately 8 acre land of village Kheri Gujran in Faridabad N.I.T. Assembly Constituency has been given to Ayush Department for constructing the Hospital of National Institute of Unani Medicine for non communicable diseases; and

b) if so, the time by which said hospital is likely to be constructed?

Reply:-

- Anil Vij, Health and AYUSH Minister Haryana.

a) Yes, Sir

b) It is submitted that this is a central project. The status report in this regard as intimated by the Minister of State (I/C), Ministry of AYUSH, Govt. of India vide their DO letter dated 11.02.2021is as under:-

"The proposal for setting up Unani treatment facilities in the area on allotted land is under active consideration. As per the guidelines of the Government of India, setting up of any new Institute requires the approval of Expenditure Finance Committee (EFC)/Cabinet, therefore, the construction work for the said Research Institute could not started yet and also conveyed that establishing these facilities as soon as the required statutory clearance/approval from the concerned agencies are obtained."

अस्पताल का निर्माण करना

266. **श्री नीरज भार्मा, एम.एल.ए. :** क्या आयुश मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि फरीदाबाद, एन.आई.टी. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मे गांव खेड़ी गुजरान की लगभग 8 एकड़ भूमि गैर–संचारी रोगों के लिए यूनानी चिकित्सा के राश्ट्रीय संस्थान का अस्पताल निर्मित करने के लिए आयुश विभाग को दी गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त अस्पताल के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

उत्तरः–

- **अनिल विज, स्वास्थ्य एंव आयुश मंत्री हरियाणा**

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) यह एक केन्द्रीय परियोजना है। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुश मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धसरकारी पत्र दिनांक 11.02.2021 के द्वारा इस बारे निम्न अनुसार स्थिति सूचित की गई हैः–

"आबंटित भूमि क्षेत्र मे यूनानी उपचार सुविधांए स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है। भारत सरकार के दि ाा–निर्दे ाों के अनुसार किसी भी नए संस्थान की स्थापना के लिए व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0)/कैबिनेट की स्वीकृति आव यक है, इसलिए, उक्त भाोध संस्थान का निर्माण कार्य अभी तक भारू नही हो सका और यह भी बताया गया है कि संबधित एजेसियों से आव यक वैधानिक मंजूरी/अनुमोदना प्राप्त होते ही इन सुविधाओं को यथा ाीघ्र स्थापित किया जाएगा।"